गोरखनाथ, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 16.06.2022 को जिला विकास प्रशाखा, अररिया का किये गये निरीक्षण टिप्पणी।

परिचयः–

अररिया जिला बिहार राज्य के अड़तीस जिलों में से एक है और अररिया शहर इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। अररिया जिला पूर्णिया प्रमंडल का एक हिस्सा है। जिले में 2830 वर्ग किमी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत (हिमालय रेंज के महान चोटियों में से एक) का दृश्य देखा जा सकता है। इस जिले में कुल 2 अनुमंडल अररिया एवं फारबिसगंज और 9 प्रखंड है। अररिया अनुमंडल में छह प्रखंड अररिया, जोकीहाट, कुर्साकांटा, रानीगंज, सिकटी और पलासी एवं फारबिसगंज अनुमंडल में तीन प्रखंड फारबिसगंज, नरपतगंज और भरगामा है। इस जिले में छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं: नरपतगंज, रानीगंज (अ0जा0), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी। ये सभी अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। ब्रिटिश काल के दौरान, क्षेत्र जहाँ श्री फोर्ब्स का बंगला स्थित था, उसे "आवासीय क्षेत्र" कहा जाता था, जो कि लोगों का एरिया में संक्षिप्त किया गया था। समय के साथ आर एरिया उच्चारण से अररिया जिला का नाम का अधिग्रहण हुआ। 1964 में तत्कालीन पूर्णिया जिला का वर्तमान समय के जिला का क्षेत्र अररिया अनुमंडल बन गया। अररिया जिला जनवरी 1990 में पूर्णिया प्रमंडल के तहत प्रशासनिक जिला बना। अररिया जिला की प्रमुख नदियाँ कोसी, सुवाड़ा, काली, परमार और कोली है। अररिया जिला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इस जिला का मुख्य कृषि उत्पादन धान, मक्का और जूट है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अररिया जिला की आबादी 28,11,569 है। जिले का जनसंख्या धनत्व 993 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 2001–2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 30 प्रतिशत थी। अररिया में प्रत्येक 1000 पुरूषों के लिए 921 महिलाओं की लिंगानुपात और 53.53 प्रतिशत साक्षरता दर है।

2. **प्रभारी पदाधिकारीः–** जिला विकास प्रशाखा, अररिया में पदस्थापन/प्रभारी पदाधिकारी का विवरण निम्न हैः–

क्र0	प्रभारी पदाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति की तिथि कब से कब तक
1	श्री सुबोध कुमार, जिला अल्पसंख्यक, कल्याण पदाधिकारी, अररिया	15.02.2019 से 25.12.2019 तक
2	श्री किशोर कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	26.12.2019 से 12.08.2020 तक
3	श्री विकास कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया	13.08.2020 से 31.03.2020 तक
4	श्री दिलीप कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया	01.04.2021 से 14.02.2022 तक
5	श्री दीनानाथ सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया	15.02.2022 से 12.06.2022 तक
6	श्री अनिल कुमार झा, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, अररिया	13.06.2022 से अब तक

3. **स्थापनाः– / जिला विकास प्रशाखा, अररिया में एक भी पद स्वीकृत नहीं हैः–**
वर्तमान समय में इस प्रशाखा में निम्नवत् कर्मी प्रतिनियुक्त हैं।

क्र0	कर्मी का नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	प्रतिनियुक्ति कार्यालय	अभ्युक्ति
1	श्री कपिलदेव मेहता, प्र0प्र0लिपिक	अंचल कार्यालय, रानीगंज	जिला विकास प्रशाखा	

2	श्री अभिषेक कुमार, नि0व0लि0	जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया	जिला विकास प्रशाखा	जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक 328/स्था0, दिनांक 04.05.2022 के द्वारा प्रतिनियुक्त है।
3	श्री राज कुमार राय, कार्यालय परिचारी	प्रखंड कार्यालय, नरपतगंज	जिला विकास प्रशाखा	

4. पत्राचारः– आगत एवं निर्गत पंजियों का संधारण किया गया है जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है–

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
2022	78	91

5. कर्मपुस्त पंजी :– कर्मियों द्वारा कर्मपुस्त पंजी संधारित किया जाता है।
6. अनुक्रमण पंजी :– अनुक्रमण पंजी विधिवत् संधारित है।
7. उपस्थिति पंजी :– उपस्थिति पंजी विधिवत् संधारित है।
8. लेखन पंजी :– लेखन पंजी विधिवत् संधारित है।
9. आकस्मिक अवकाश पंजी :– आकस्मिक अवकाश पंजी विधिवत् संधारित है।
10. रक्षी संचिक ा :– रक्षी संचिका विधिवत् संधारित है।
11. डाक पंजी :– डाक पंजी है।
12. प्रखंड स्थापना (2515) :– आवंटन प्राप्त होने के उपरांत उपावंटित कर दिया गया है।
13. सी.डब्लू.जे.सी./एम.जे.सी.:– सी.डब्लू.जे.सी./एम.जे.सी से संबंधित कोई मामला नहीं है।
14. सूचना का अधिकार :– सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं निष्पादन संबंधी पंजी संधारित है:–

वर्ष	प्राप्त	निष्पादित	लंबित
2022	00	00	00

15. विधानसभा/लोकसभा/प्रश्न एवं उत्तर सामग्री:– विधानसभा/लोकसभा प्रश्न से संबंधित मामला लंबित नहीं है।

16. मुख्यमंत्री ई–कम्प्लायंस:– मुख्यमंत्री ई–कम्प्लायंस का आवेदन पत्र प्राप्त होता है, जिसका निष्पादन कर दिया गया है।

वर्ष	प्राप्त	निष्पादित	लंबित
2022	11	02	09 (प्रतिवेदन की मांग की गई है एवं पुनः समारित किया गया है।)

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री ई–कम्प्लायंस के तहत वर्ष 2022 में कुल 11 आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मात्र दो आवेदन का निष्पादन किया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि शेष लंबित आवेदन का निपटारा यथाशीध्र किया जाय।

17. आवेदन पत्र पंजी:– आवेदन पत्र की पंजी संधारित है।

टिप्पणीः–

जिला विकास शाखा, अररिया के कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी, विकास प्रशाखा, अररिया द्वारा न तो अपने कार्यालय का कभी निरीक्षण किया गया है और न ही कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार करने हेतु सम्यक् प्रयास किया गया है। उक्त कार्यालय में आगत पत्रों के परिवादों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निर्गत पंजी में आये हुए पत्र न तो कर्म पुस्तिका में संधारित हो रहा है और न ही विधिवत् तरीके से संचिका में निष्पादित किया जा रहा है। कार्यालय कार्य संस्कृति में एक माह के अंदर वांछित सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. मुख्यमंत्री ई. कम्प्लायंस का जो आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त होते हैं उस मामले में शीघ्रतापूर्वक जाँच कर सम्यक कारवाई नहीं की जाती है। जिस कारणवश प्राप्त कुल ग्यारह आवेदन में से नौ आवेदन अभी तक लंबित पाये गये। इसे ससमय जाँचोपरांत सम्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, अररिया सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, अररिया इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया)

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः– 139 / पूर्णिया, दिनांकः– 20/06/2022 /

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

टिप्पणीः—

जिला विकास शाखा, अररिया के कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी, विकास प्रशाखा, अररिया द्वारा न तो अपने कार्यालय का कभी निरीक्षण किया गया है और न ही कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार करने हेतु सम्यक् प्रयास किया गया है। उक्त कार्यालय में आगत पत्रों के परिवादों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निर्गत पंजी में आये हुए पत्र न तो कर्म पुस्तिका में संधारित हो रहा है और न ही विधिवत् तरीके से संचिका में निष्पादित किया जा रहा है। कार्यालय कार्य संस्कृति में एक माह के अंदर वांछित सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. मुख्यमंत्री ई. कम्प्लायंस का जो आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त होते हैं उस मामले में शीघ्रतापूर्वक जाँच कर सम्यक कारवाई नहीं की जाती है। जिस कारणवश प्राप्त कुल ग्यारह आवेदन में से नौ आवेदन अभी तक लंबित पाये गये। इसे ससमय जाँचोपरांत सम्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, अररिया सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, अररिया इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः— जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया)

Sd/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः—........../ पूर्णिया, दिनांकः—........../

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Sd/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः— 139 / पूर्णिया, दिनांकः— 20/06/2022

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं समरूप मामलें में सम्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 19/6/22
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

टिप्पणीः—

जिला विकास शाखा, अररिया के कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी, विकास प्रशाखा, अररिया द्वारा न तो अपने कार्यालय का कभी निरीक्षण किया गया है और न ही कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार करने हेतु सम्यक् प्रयास किया गया है। उक्त कार्यालय में आगत पत्रों के परिवादों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निर्गत पंजी में आये हुए पत्र न तो कर्म पुस्तिका में संधारित हो रहा है और न ही विधिवत् तरीके से संचिका में निष्पादित किया जा रहा है। कार्यालय कार्य संस्कृति में एक माह के अंदर वांछित सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. मुख्यमंत्री ई. कम्प्लायंस का जो आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त होते हैं उस मामले में शीघ्रतापूर्वक जाँच कर सम्यक कारवाई नहीं की जाती है। जिस कारणवश प्राप्त कुल ग्यारह आवेदन में से नौ आवेदन अभी तक लंबित पाये गये। इसे ससमय जाँचोपरांत सम्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, अररिया सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, अररिया इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः— जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया)

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः—............/ पूर्णिया, दिनांकः—............/

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः—............/ पूर्णिया, दिनांकः—............/

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं समरूप मामलें में सम्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः—139/ पूर्णिया, दिनांकः—20/06/2022/

प्रतिलिपिः— विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

टिप्पणीः–

जिला विकास शाखा, अररिया के कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी, विकास प्रशाखा, अररिया द्वारा न तो अपने कार्यालय का कभी निरीक्षण किया गया है और न ही कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार करने हेतु सम्यक् प्रयास किया गया है। उक्त कार्यालय में आगत पत्रों के परिवादों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निर्गत पंजी में आये हुए पत्र न तो कर्म पुस्तिका में संधारित हो रहा है और न ही विधिवत् तरीके से संचिका में निष्पादित किया जा रहा है। कार्यालय कार्य संस्कृति में एक माह के अंदर वांछित सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. मुख्यमंत्री ई. कम्प्लायंस का जो आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त होते हैं उस मामले में शीध्रतापूर्वक जाँच कर सम्यक कारवाई नहीं की जाती है। जिस कारणवश प्राप्त कुल ग्यारह आवेदन में से नौ आवेदन अभी तक लंबित पाये गये। इसे ससमय जाँचोपरांत सम्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. इन बिन्दुओं पर घ्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, अररिया सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, अररिया इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया)

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः–............................/ पूर्णिया, दिनांकः–............................./

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः–............................/ पूर्णिया, दिनांकः–............................./

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं समरूप मामलें में सम्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः–............................/ पूर्णिया, दिनांकः–............................./

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

टिप्पणीः–

जिला विकास शाखा, अररिया के कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी, विकास प्रशाखा, अररिया द्वारा न तो अपने कार्यालय का कभी निरीक्षण किया गया है और न ही कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार करने हेतु सम्यक् प्रयास किया गया है। उक्त कार्यालय में आगत पत्रों के परिवादों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निर्गत पंजी में आये हुए पत्र न तो कर्म पुस्तिका में संधारित हो रहा है और न ही विधिवत् तरीके से संचिका में निष्पादित किया जा रहा है। कार्यालय कार्य संस्कृति में एक माह के अंदर वांछित सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. मुख्यमंत्री ई. कम्प्लायंस का जो आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त होते हैं उस मामले में शीध्रतापूर्वक जाँच कर सम्यक कारवाई नहीं की जाती है। जिस कारणवश प्राप्त कुल ग्यारह आवेदन में से नौ आवेदन अभी तक लंबित पाये गये। इसे ससमय जाँचोपरांत सम्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. इन बिन्दुओं पर घ्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, अररिया सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, अररिया इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया)

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः– 139 / पूर्णिया, दिनांकः– 20/06/2022

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः– 139 / पूर्णिया, दिनांकः– 20/06/2022

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं समरूप मामलें में सम्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः– 139 / पूर्णिया, दिनांकः– 20/06/2022

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

O/C